

**Title:** Regarding Nationwide strike by Newspaper Journalists demanding early submission of the Manisana Singh Board Report.

**श्री मदन लाल खुराना :** अध्यक्ष जी, आपने मुझे आदेश दे दिया है कि ( व्यवधान) महोदय, मैं जानता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देना है। लेकिन मुझे कहना है कि श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य अखबार कर्मियों के लिए वेतन तय करने के बाद सरकार द्वारा गठित ( व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

**श्री मदन लाल खुराना :** अध्यक्ष जी, श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य अखबार कर्मियों के वेतन तय करने के वास्ते सरकार द्वारा गठित मणिसाना सिंह बोर्ड की रिपोर्ट को साजिश कर, अखबार के मालिकों द्वारा रोकने से फँसे असंतोष के परिणामस्वरूप कल आठ मई को हुई अखिल भारतीय हड़ताल के मुद्दों को मैंने शून्य काल में उठाने की अनुमति चाही थी। स्वतंत्रता के पश्चात् उस समय की सरकार ने और संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस के योगदान को स्वीकारा। इसके परिणामस्वरूप 1952 में पहली बार न्यायमूर्ति राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रेस आयोग का गठन हुआ। उसके बाद कानून बना और कई वेतन बोर्ड बैठे। अंतिम वेतन बोर्ड, न्यायमूर्ति ब्रह्मवत वेतन बोर्ड की रिपोर्ट 1989 में पेश की गयी जिसे 11 साल हो गये हैं। पांच साल पहले 1995 में न्यायमूर्ति राजकुमार मणिसाना सिंह वेतन बोर्ड गठित हुआ। रिपोर्ट आने से पहले एक साजिश यह हुई कि केवल अखबारों के मालिक ही नहीं बल्कि कोई भी मिल मालिक यह चाहता था कि इस मामले को लम्बा किया जाये, कोर्ट में ले जाया जाये ताकि यह मामला जितना लम्बा होगा, उतना उनको पैमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसी साजिश के तहत कोर्ट ने यह तय कर दिया कि इसकी रिपोर्ट आ जाये लेकिन फिर से मिल मालिकों ने, आई.ई.एन.एस. वालों ने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट कर दी। मैंने कहा कि मणिसाना सिंह वेतन बोर्ड की नियुक्ति 1995 में की गई थी, 1996 में कर्मचारियों के लिए 15 परसेंट इंटरिम राहत की घोषणा की गई थी। सरकार ने इसे अपर्याप्त मानकर 20 फीसदी किया, 100 रुपये अतिरिक्त दिया। 1999 के शुरु में वेतन बोर्ड अपना टैन्टेटिव प्रस्ताव पूरा करने का प्रयास कर रहा था कि ये लोग हाई कोर्ट में चले गये। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। मेरा कहना है कि प्रधान मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और यह रिपोर्ट जल्दी से आये। हमारे श्रम मंत्री जी यहां बैठे हैं। मेरी उनसे भी बातचीत हुई और वह भी चाहते हैं कि यह रिपोर्ट जल्दी आये। आज सुबह न्याय मंत्री जी से भी मेरी बात हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें सरकार की भी इच्छा है इसलिए यह रिपोर्ट जल्द से जल्द आये ताकि पत्रकारों को राहत मिल सके।

MR. SPEAKER: Shri Acharia, are you speaking on the same subject?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, Sir. There was a nation-wide strike by the working journalists of our country. Today morning, we did not receive any newspaper. Not a single newspaper has been published today. After the Bachawat Wage Board of 1989, another Wage Board was constituted some five years back in 1995. This Wage Board gave two years Interim Relief. Its final recommendation is not coming because the owners of the big newspapers are putting hurdles and they have gone to the court. The representatives of the working journalists have met the Prime Minister and demanded that without further delay the Wage Board should submit its Report and the Government should implement the recommendations of the Wage Board.

The Minister of Labour is here. श्रम मंत्री जी यहां हाजिर हैं। वे जरा हाउस को बतायें कि इसमें पांच साल की देर और वर्किंग जर्नलिस्ट्स के वेज में कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े अखबारों के मालिक यह नहीं चाहते कि पत्रकारों के वेज में वृद्धि हो। इसके बारे में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। यह किसी एक दल का सवाल नहीं है बल्कि सारे सदन का सवाल है। हमारी श्रम मंत्री जी से मांग है कि वे हाउस को बतायें कि यह रिपोर्ट कब आ रही है और वे उसे कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।

SHRI A.C. JOS : Sir, I am also raising the same issue. Sir, 12 years have passed after the Bhachawat Award. In this country all the workers including the Government servants get their salaries revised, at least, once in 10 years. But in this case 12 years have lapsed. This Government is also responsible for that. It has not mentioned a time-limit for submitting the Wage Board report. What we understand is that the Government advocate in the court has not taken it seriously. With the result, some orders have been issued by the High Court. Today, the case has come up again in different High Courts. These delay tactics have been adopted by the newspaper barons. So, I submit to the Government that some action is necessary in this regard.

MR. SPEAKER: Shri Bandyopadhyay, you can also associate yourself with this matter.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I cannot allow all the people.

...(Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, you have called me...(Interruptions).

MR. SPEAKER: I have associated your name with them.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, let me say that...(Interruptions) I cannot associate myself physically.

MR. SPEAKER: Nothing should go on record.

(Interruptions)\* â€

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, I urge upon the Central Government to initiate action to sort out this matter...(Interruptions)\*

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except the reply of the Minister.

*(Interruptions) ... (Not recorded)*

**श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) :** हम भी इसमें एसोसिएट करना चाहते हैं। *â€¦* (व्यवधान)

**श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) :** अध्यक्ष जी, जिस प्रकार माननीय सदस्य मणिसाना वेज बोर्ड के बारे में चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, न्यायमूर्ति राजकुमार मणिसाना की अध्यक्षता में उसकी बैठक हुई। निश्चित रूप से मणिसाना वेज बोर्ड काम कर रहा है और आज भी उसकी मुम्बई में बैठक होकर वह काम जारी है। *â€¦* (व्यवधान) आप जानते हैं कि यह वेतन बोर्ड है और जस्टिस मणिसाना इसके अध्यक्ष हैं। *â€¦* (व्यवधान)

आप हमारी बात सुन लें। *â€¦* (व्यवधान) प्रारंभ में उनको दोर्वा का कार्यकाल दिया गया था। वेज बोर्ड की रिपोर्ट देने के लिए कोई कार्यकाल निश्चित नहीं हुआ था। हमने उनसे कहा है कि आप इस काम को करने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं, करें। उन्होंने दशंबर में एवीडेंसेस लेने का काम किया और अपनी रिपोर्ट देने से पहले एक अनन्तिम रिपोर्ट भी दी। फाइनल रिपोर्ट तैयार होने की स्थिति में है। इसी बीच एक बार मुम्बई हाई कोर्ट और अग्नी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके उस पर रोक लगाने का काम हुआ। किन्तु कानूनी कार्यवाही अपनी जगह चल रही है और वेज बोर्ड अपनी जगह काम कर रहा है। उसकी मुम्बई में आज भी बैठक हो रही है और 9,10,11,12 को उनकी बैठक करके, रिपोर्ट देने के काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा मुझे सदन को बताने में *â€¦* (व्यवधान)

\* Not Recorded

**श्री बसुदेव आचार्य :** कब तक करेंगे, समय बता दीजिए। *â€¦* (व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Why did the Government not want the report?...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Always, this is the problem in the House. The Minister is giving a reply and you are not listening.

**श्री सत्यनारायण जटिया :** जैसे ही रिपोर्ट बनकर, तैयार होकर सरकार को दी जाएगी, हम उसे लागू करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगे। *â€¦* (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** समय बता दीजिए। *â€¦* (व्यवधान)

**श्री सत्यनारायण जटिया :** वास्तव में 21.03.1995 को इसका गठन हुआ था। *â€¦* (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी को मैं निवेदन करना चाहता था कि जब इसका गठन हो गया तो उसके बाद लगातार इसका कार्यकाल बढ़ाने का काम हुआ और पिछली बार जब हमने कार्यकाल बढ़ाया था तो एक जनवरी से 31 मार्च 2000 तक उसे बढ़ा दिया। अब जैसे ही वे हमको रिपोर्ट देंगे, उनकी आखिरी बैठक चल रही है। *â€¦* (व्यवधान) जैसे ही उनकी रिपोर्ट हमारे पास आयेगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, यह मैं आपको आश्वासन करता हूँ। *â€¦* (व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र प्रसाद :** इनका कमिटमेंट है, उत्तराखंड के लिए आप कह चुके हैं।

*...(Interruptions)*

**अध्यक्ष महोदय :** मि. चतुर्वेदी, यह ठीक नहीं है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** मुझे अध्यक्ष जी जो कहेंगे, मैं कहने को तैयार हूँ। मुझे अध्यक्ष जी निर्देश देंगे तो मैं आपका भी जवाब दूंगा, लेकिन अध्यक्ष जी का कहना है कि आप बयान दीजिए। मुझे अध्यक्ष जी निर्देश देंगे तो मैं स्व की बात का उत्तर दूंगा। *â€¦* (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइये न, आपको मौका दिया न।

**कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री यह भी जवाब देंगे कि उत्तराखंड की राजधानी कहां बना रहे हैं। *â€¦* (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप यह क्या कर रहे हैं? आपको यह क्या हो गया है?

*...(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Now statement by the Home Minister.

*...(Interruptions)*

MR. SPEAKER: You cannot compel the Minister to give a statement on an issue raised during the Zero Hour.

*...(Interruptions)*

MR. SPEAKER: This will not go on record. Only the Home Minister's statement will go on record.

*(Interruptions)\**

o

14.31 hours